UPKU100000482025

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर

उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)

वाद सं०–120/2025

सरकार बनाम योगेन्द्र जायसवाल

धारा–4/10 वन संरक्षण अधि०

थाना कसया, जिला कुशीनगर।

बयान मुल्जिम

नाम–योगेन्द्र जायसवाल पुत्र–शंकर जायसवाल

साकिन–डुमर भार, हरिया थाना–कसया जिला–कुशीनगर

प्रश्न सं० 1– क्या आपके द्वारा वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर कथित उक्त अपराध कारित किया गया और क्या आप उस अपराध की प्रकृति और परिणाम को भली–भाँति समझ रहे हैं। जिसका आरोप आपके उपर लगाया गया है?

उत्तर –

प्रश्न सं० 2– क्या आप स्वेच्छया अपने अपराध संस्वीकृति कर रहे है?

उत्तर –

प्रश्न सं० 3 – क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर –

सुनकर तसदीक किया,

आदेश

अभियुक्त **योगेन्द्र जायसवाल पुत्र शंकर जायसवाल** द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वह बहुत गरीब आदमी है, मुकदमा लड़ने में अक्षम है। प्रार्थी को जुर्म कबूल एवं मंजूर है प्रार्थी जुर्माना देने को तैयार है जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त योगेन्द्र जायसवाल के विरूद्ध धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० के तहत संज्ञान लिया जा चुका है और अभियुक्त समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे है। अतः प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त के जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त का कथन है कि अपने घर के अकेले कमाऊ सदस्य है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर है तथा वह एक गरीब व असहाय व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.03.16 15:39:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त बहुत गरीब व्यक्ति है व अभियुक्त द्वारा समक्ष न्यायालय जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह संस्वीकृति करता है तो उक्त संस्वीकृति के आधार पर उसकी दोष सिद्ध हो सकती है। फिर भी अभियुक्त ने सब कुछ समझते हुये अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो तथा अपराध की प्रकृति व वाद की प्रचीनता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायसंगत है। अभियुक्त **योगेन्द्र जायसवाल पुत्र शंकर जायसवाल** को उसके जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त **योगेन्द्र जायसवाल पुत्र शंकर जायसवाल** को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद सं०–120/2025, धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **योगेन्द्र जायसवाल पुत्र शंकर जायसवाल** को अंकन 500/–रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 16.03.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०,कसया,
जिला–कुशीनगर।